

शंकरलाल वनाम बिलाराम

Reader  
2/1/22  
न्यायालय

क्र.सं.	दिनांक आदेश या कार्यवाही	आदेशा विस्तृत रूप से
	22/1/2022	प्रावली केस नं. वकील वारी डफ प्रावली इतवार अजेत रिपोर्ट दिनांक 14/6/2021 को पराए उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	14/6/21	प्रावली केस नं. वकील वारी डफ प्रावली इतवार अजेत रिपोर्ट दिनांक 26/6/21 को पराए इतना लिखने पर अजेत रिपोर्ट पर ए.पी.ए. लिखने के उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	26/6/21	प्रावली केस नं. वकील वारी डफ वकील वारी की अजेत रिपोर्ट पर वैद्यक अभियोग सूची में वारी को वैद्यक अभियोग अजेत रिपोर्ट अभियोग दिनांक 14/6/21 को पराए दिनांक 14/6/21 के लिखवाया गया प्रावली केस नं. इतवार अजेत रिपोर्ट को ए.पी.ए. वकील वारी के अजेत रिपोर्ट की उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

- वाद पत्र संख्या:...
1. शंकरलाल पुत्र
  2. ओमप्रकाश पुत्र
  3. गगन पुत्र विष्णु
  4. सुप्यार देवी प
- समस्त निवासी

1. बिलाराम पुत्र  
सांगानेर, जित
2. सुशीला चौधरी  
61, लक्ष्मी न  
जयपुर।
3. उप पंजीयक
4. राजस्थान सर



वाद पत्र

दावा

श्रीमान जी,

श्रीमान जी  
(पंजीयक) जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.  
वाद संख्या : 224/2022  
निर्णय दिनांक : 26.06.2024

1. शंकरलाल पुत्र प्रभुदयाल
2. ओमप्रकाश पुत्र प्रभुदयाल
3. गगन पुत्र विष्णु कुमार
4. सुप्यार देवी पत्नी विष्णु कुमार
5. समस्त निवासीगण ग्राम सूरजपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम


1. बिलाराम पुत्र भौरीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सूरजपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. सुशीला चौधरी पत्नी रामफूल चौधरी जाति जाट निवासी प्लॉट नम्बर 61, लक्ष्मी नगर, महारानी फार्म के सामने टोक रोड सांगानेर जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक सांगानेर तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत तकासमाव स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सीमाकनं अन्तर्गत धारा 111 व  
128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

वाद पत्र बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956का पेश किया। न्यायालय द्वारा वादीगण केवाद में दिनांक 20.03.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर एवं मुताबिक राजस्व रिकार्ड कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन-तीन प्रतियों में तैयारकरवाकर इस न्यायालय को दिनांक 25.04.2024 से पूर्व भिजवाया जावे। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियों में पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र क्रमांक भु0अ0/कुर्रैजात/2024/4200दिनांक 06.06.2024के संलग्न कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो मे प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

उपस्थित वादीगण अधिवक्ता की बहस अंतिम कुर्रैजात रिपोर्ट पर सुनी गई। वकील वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है। हमने बहस वादीगण अधिवक्ता, पत्रावली व राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट का अधोपान्त अवलोकन करने व बहस का सगौर मनन करने पर वाद वादीगण तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट मुताबिक वादअंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अतः वाके ग्राम सूरजपुरा पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा, भू0अ0नि0क्षे0 शिकारपुरा, तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खाता संख्या नया 86 पुराना 83 में खसरा नम्बर 44 रकबा 0.17 हैक्टयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.17 हैक्टयर का तकासमामुताविक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज						
क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किरम	लगान
1	54	ओमप्रकाश पुत्र प्रभुदयाल हिस्सा 1/4 जाति जागा सा. देह गगन पुत्र विष्णु कुमार हिस्सा 1/8 जाति ब्राह्मण सा0 देह शंकर लाल पुत्र प्रभुदयाल हिस्सा 1/4 जाति ब्राह्मण सा0 देह सुप्यार देवी पत्नी विष्णु कुमार हिस्सा 1/8 जाति ब्राह्मण सा0 देह विलाराम पुत्र भौरीलाल हिस्सा 2/17 जाति गुर्जर सा0 देह सुशीला चौधरी पत्नी रामफूल चौधरी हिस्सा 9/68 जाति जाट निवासी प्लॉट नम्बर 61, लक्ष्मी नगर, कमानी फार्म के सामने टोक रोड सांगानेर जिला जयपुर।	44	0.17	जाव 3	1.73
		कुल किता	2	0.17		

प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज						
क्र. सं.	किरम	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा	लगान	रंग
1.	जाव3	ओमप्रकाश पुत्र प्रभुदयाल जाति जागा सा. देह	44/1	0.0425	0.432	
		कुल किता	1	0.0425		
2.	जाव3	गगन पुत्र विष्णु कुमार हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा0 देह सुप्यार देवी पत्नी विष्णु कुमार हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा0 देह	44/4	0.0425	0.432	
		कुल किता	1	0.0425		
3	जाव3	शंकर लाल पुत्र प्रभुदयाल जाति ब्राह्मण सा0 देह	44/3	0.0425	0.432	
		कुल किता		0.0425		
4.	जाव3	विलाराम पुत्र भौरीलाल हिस्सा 200/425 जाति गुर्जर सा0	44/2	0.0425	0.432	

	देह सुशीला चौधरी पत्नी रामफूल चौधरी हिस्सा 225/425 जाति जाट निवासी प्लॉट नम्बर 61, लक्ष्मी नगर, कमाना फार्म के सामने टोक रोड सांगानेर जिला जयपुर।				
जाव3	कुल किता	1	0.0425	0.432	

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।  
निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।



(हिम्मत् सिंह)

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),  
जयपुर

**अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तादाई**  
(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी )

पीठारीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.  
वाद संख्या : 224 / 2022  
डिक्री जारी दिनांक : 26.06.2024

1. शंकरलाल पुत्र प्रभुदयाल
2. ओमप्रकाश पुत्र प्रभुदयाल
3. गगन पुत्र विष्णु कुमार
4. सुप्यार देवी पत्नी विष्णु कुमार
5. समस्त निवासीगण ग्राम सूरजपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम


1. विलाराम पुत्र भौरीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सूरजपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. सुशीला चौधरी पत्नी रामफूल चौधरी जाति जाट निवासी प्लॉट नम्बर 61, लक्ष्मी नगर, महारानी फार्म के सामने टोक रोड सांगानेर जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक सांगानेर तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

**वाद पत्र बाबत तकासमाव स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53**  
**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सीमाकन अन्तर्गत धारा 111 व**  
**128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाके ग्राम सूरजपुरा पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा, भू0अ0नि0क्षे0 शिकारपुरा, तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खाता संख्या नया 86 पुराना 83 में खसरा नम्बर 44 रकबा 0.17 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.17 हैक्टेयर का तकासमामुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-


राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज						
क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किरम	लगान
1	54	ओमप्रकाश पुत्र प्रभुदयाल हिस्सा 1/4 जाति जागा सा. देह गगन पुत्र विष्णु कुमार हिस्सा 1/8 जाति ब्राह्मण सा0 देह शंकर लाल पुत्र प्रभुदयाल हिस्सा 1/4 जाति ब्राह्मण सा0 देह सुप्यार देवी पत्नी विष्णु कुमार हिस्सा 1/8 जाति ब्राह्मण सा0 देह विलाराम पुत्र भौरीलाल हिस्सा	44	0.17	जाव 3	1.73

  
**उपखण्ड अधिकारी**  
**जयपुर द्वितीय (सांगानेर)**


	2/17 जाति गुर्जर सा0 देह सुशीला चौधरी पत्नी रामफूल चौधरी हिस्सा 9/68 जाति जाट निवासी प्लॉट नम्बर 61, लक्ष्मी नगर, कमानी फार्म के सामने टोक रोड सांगानेर जिला जयपुर।				
	कुल किता	2	0.17		

प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज					
क्र. सं.	किस्म	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा	लगान रंग
1.	जाव3	ओमप्रकाश पुत्र प्रभुदयाल जाति जागा सा. देह	44/1	0.0425	0.432
		कुल किता	1	0.0425	
2.	जाव3	गगन पुत्र विष्णु कुमार हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा0 देह सुप्यार देवी पत्नी विष्णु कुमार हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा0 देह	44/4	0.0425	0.432
		कुल किता	1	0.0425	
3	जाव3	शंकर लाल पुत्र प्रभुदयाल जाति ब्राह्मण सा0 देह	44/3	0.0425	0.432
		कुल किता		0.0425	
4.	जाव3	बिलाराम पुत्र भौरीलाल हिस्सा 200/425 जाति गुर्जर सा0 देह सुशीला चौधरी पत्नी रामफूल चौधरी हिस्सा 225/425 जाति जाट निवासी प्लॉट नम्बर 61, लक्ष्मी नगर, कमानी फार्म के सामने टोक रोड सांगानेर जिला जयपुर।	44/2	0.0425	0.432
	जाव3	कुल किता	1	0.0425	0.432

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुरेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे।


  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।  
बाबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.06.2024 को जारी की गई।  
मुहर

  
दस्तखत  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

मुद्दाई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)